

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 66/2019

निर्णय दिनांक - 27.05.2019

हीरालाल पिता गोविन्दराम चारण, आयु 60 साल, निवासी अरनिया जोशी, तहसील निम्बाहेड़ा।

- प्रार्थी

// वनाम //

1. देवीलाल पिता नन्दराम गायरी, आयु वयस्क, निवासी कृपारामजी की खेड़ी।
2. सुरजमल पिता चून्नीलाल गायरी, आयु वयस्क, निवासी टिलाखेड़ा।
3. शम्भुलाल पिता छगनलाल चारण, आयु वयस्क, निवासी अरनिया जोशी।
4. मांगीलाल पिता गिरधारीलाल रावत मीणा, आयु वयस्क, निवासी कृपारामजी की खेड़ी।
5. भंवरलाल पिता नानालाल जायसवाल, आयु वयस्क, निवासी कृपारामजी की खेड़ी।
6. पवन पिता रामविलास पाटीदार, आयु वयस्क, निवासी अरनोदा, तहसील निम्बाहेड़ा।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट


आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा फुटवाल की खाता संख्या 20 की आराजी नं. 1 व 2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9000 हेक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षी प्रार्थी की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 1000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा फुटवाल की खाता संख्या 20 की आराजी नं. 1 व 2 कुल किता 2 कुल रकबा 1.9000 हेक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।




(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

